Less Page 34

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16-3-1978

में

विचारणीय विषयों की सूची

विषय संख्या	विषय		पृष्ठ संख्या
1 -	विकास प्राधिकरण की बैठकों दिनांक 30-11-77 तथा 12-12-77 के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण ।	-	1
2 -	विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77, 30-11-77 एवं 12-12-77 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति आख्या ।	-	2
3 -	महानगर गृह योजनान्तर्गत करामत मार्केट के सामने की दुकानों में से एक दुकान के आवण्टन हेतु प्रीमियम से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।	-	10
4 -	मास्टर प्लान के प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट "डी" जोन नं0 8 व 9 का ड्राफ्ट जोनल प्लान प्राधिकरण के अभियन्त्रण विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर अनुमोदन ।	-	11
5 -	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवास हेतु कार्यालय प्रांगण में स्थल में प्रस्तावित डिज़ायन में रेयर सेट बैक की स्वीकृति ।	-	12
6 -	मुख्य अभियन्ता के कार्यालय की स्थापना हेतु स्टाफ की स्वीकृति ।	-	13
7 -	कामधेनु नगर को चालू रखने के लिये 313·43 लाख रुपये की इकोनामिक्स की स्वीकृति ।	-	14
8 -	नियोजन विभाग लक्ष्य की बैठक (त्रैमासिक योजना प्रगति) दिनांक 11-10-77 पर विचार ।	-	18
9 -	पुनरीक्षित बजट 1977-78	-	22
10-	नियोजन विभाग तथा विधि विभाग के लिये स्टाफ की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	-	23
11-	सरोजनी नगर क्षेत्र में कानपुर रोड पर 100 शैया वाले ई0एस0आई0 अस्पताल के निर्माण के लिये तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन आलमबाग व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिये सड़क के मध्य से 125 फुट की दूरी के अन्तर्गत निर्माण किये जाने की छूट देने के सम्बन्ध में ।	-	25
12-	विभागीय निर्माण इकाई के गठन के सम्बन्ध में गठित उप समिति की अनुशंसा पर विचार ।	-	26
13-	लेखा विभाग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में ।	-	27
14-	लखनऊ विकास प्राधिकरण के वाहनों के रखरखाव के लिये वर्कशाप की स्थापना के सम्बन्ध में ।	-	42
15-	लखनऊ शहर के प्रमुख मार्गों पर स्थित भवनों के अग्रभागों की रंगाई एवं मरम्मत विषयक आख्या	-	44
16-	पेपर मिल योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्गीय 20 दो कमरे के भवनों का निर्माण कार्य ।	-	46
17-	नव नियुक्त सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं को वाहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में ।	-	47
18-	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय ।		

- 0 - 0 -

विषय संख्या -1

विकास

प्राधिकरण

की

बैठकों

दिनांक

30-11-77

तथा

12-12-77

के

कार्यवृत्त

का

पुष्टीकरण ।

- 0 - 0 -

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 में लिये गये निर्णयों की कार्यान्वयन प्रगति आख्या

विषय सं0 -1 : मीटिंग की नोटिस तथा एजेण्डा पर 15 दिन पूर्व टिप्पणी भेजने सम्बन्धी निर्देशानुसार ही भविष्य में कार्यवाही की जायगी ।

1-ए-2: विचार-विमर्श हेतु अत्यधिक सामग्री होने के कारण 6 सप्ताह में बैठक बुलाने के निर्देश पर पिछली बैठक से ही अमल में लाया जा रहा है ।

1-ए-3: एजेण्डा पर टिप्पणियाँ अधिक सुस्पष्ट तथा सभी दृष्टिकोण से पूर्ण रखने हेतु निर्देशानुसार ग़ाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण से कार्यसूची तथा कार्यवाही की प्रतियाँ मँगा ली गई हैं ।

1-ए-4: लखानऊ विकास प्राधिकरण में विधि अधिकारी की नियुक्ति हेतु ज़िला जज़, लखानऊ को अधिवक्ताओं का एक पैनल भेजने हेतु पत्र भेजा गया है, जिसका उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ है । ब्यक्तिशः सम्पर्क स्थापित करके कार्यवाही की जा रही है ।

विषय सं0 -2 : कार्यान्वयन प्रगति टिप्पणी तदनुसार ही प्रस्तुत की जा रही है । यदि कोई कमी हो तो प्राधिकरण के निर्देश अपेक्षित हैं ।

2-2 : आवास सचिव के अवकाश पर होने से गत बैठक दिनांक 12-12-77 के कार्यवृत्त का अनुमोदन विलम्ब से होने के कारण पुनरीक्षित बजट वर्ष 1977-78 प्रस्तुत नहीं हो सका । पुनरीक्षित बजट वर्ष 1977-78 इस बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है ।

2-3 : लखानऊ मास्टरप्लान की वैधता के विषय में निर्देशानुसार निदेशक, स्थानीय निकाय की राय विभाग के पत्रांक 682/एस0टी0पी0/एल0डी0ए0 दिनांक 26-12-77 द्वारा माँगी जा चुकी है । प्राप्त होने पर आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायगी ।

विषय सं0 -3 : इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जानी है ।

विषय सं0 -4 : भूखण्ड/भवन अथवा प्राधिकरण की चल/अचल सम्पत्तियों के निस्तारण निर्धारित अवधि में नीलामी की उच्चतम बोली बोलने वाले को पूर्ण धन जमा करने के लिये दिये गये समय दो माह में धन जमा कराये जाने की कार्यवाही तदनुसार की जा रही है ।

क्रमशः - - -2

4-2 : उपरोक्त अधिकतम अवधि में यदि उच्चतम बोली का तीन-चौथाई धन न जमा किया गया या पत्र पाने की अवधि के अन्दर रजिस्ट्री आवण्टी द्वारा नहीं कराई गई तो निर्णयानुसार ही कार्यवाही की जायगी ।

विषय सं0 5-1: भूखण्डों के हस्तान्तरण पर प्राधिकरण द्वारा शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत टिप्पणी प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30-11-77 में प्रस्तुत की गई थी जिस पर निर्णय लिया जा चुका है और तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

विषय सं0 6-1 : निराला शिक्षा सेवा संस्थान से यह जानकारी प्राप्त की गई थी कि वे अपने को किस प्रकार से दातव्य संस्था होने का दावा करते हैं तथा निर्णयानुसार उनके प्राप्तियाँ एवं देयकों की भी जानकारी प्राप्त की गई । उत्तर प्राप्त हो गया है । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

विषय सं0 7-1 : निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण कर दी गई ।

7-2 : लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

7-3 : नोट किया गया । भविष्य में तथानुगत कार्यवाही की जायगी ।

विषय सं0 8-1: नगर महापालिका अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा आवण्टित भूखण्डों की रजिस्ट्री से पूर्व आवण्टी के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्णयानुसार ही कार्यवाही की जा रही है ।

विषय सं0 9-1: प्राधिकरण के निर्णयानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को भूमि/भवन क्रय अथवा निर्माण अथवा वाहन क्रय हेतु प्राधिकरण की निधि से अग्रिम धन की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णयानुसार बजट-प्राविधान के अनुसार धन का वितरण कर दिया गया है ।

विषय सं0 10-1: लालबाग गर्ल्स कालेज के प्रांगण में बी0एल0 वर्मा रोड पर स्थित 16,000 वर्गफिट भूमि को कालेज के उपयोग की परिधि से निकाल कर दुकान/कार्यालय हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की प्रार्थना पर हुये निर्णय की सूचना इस विभाग के पत्र सं0 639/एस0टी0पी0/एल0 डी0ए0 दिनांक 17-11-77 द्वारा श्री ए0सी0 दास, सदस्य, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश शासन को भेज दी गई है ।

विषय सं0 11-1: बनारसीबाग के पास सिविल अस्पताल के पीछे भूखण्ड पर 400 शैया युक्त चिकित्सालय बनाने हेतु हुये निर्णयानुसार निदेशक, स्वास्थ्य विभाग को प्लान इत्यादि प्रस्तुत करने के लिये इस कार्यालय के पत्र संख्या 638/एस0टी0पी0/एल0डी0ए0 दिनांक

क्रमशः- -3-

17-11-77 द्वारा सूचित किया जा चुका है । प्लान एवं सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव है ।

विषय संख्या 12.1: अल्प आय वर्ग हेतु पाण्डेय का तालाब योजना में 60 दो कमरे वाले भवनों को दिनांक 20-4-77 को आमन्त्रित निविदाओं के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

विषय सं0 13-1 : तदनुसार कार्यवाही की गई ।

विषय सं0 14-1 : वशीरतगंज सामान्य एवं गृह योजना के अन्तर्गत ऐशबाग रोड में कुछ कारखानों आदि से उनके द्वारा अधिगृहीत भूमि लेकर ऐशबाग रोड पर अन्य भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् निर्णय हेतु कार्यवाही विचाराधीन है ।

विषय सं0 15-1: पेपर मिल योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्गीय भवन बनाकर जनता को लीज होल्ड आधार पर उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

विषय सं0 16-1: रंगरोगन का कार्य निर्णयानुसार स्थगित कर दिया गया है । ठेकेदारों के बकाया भुगतान हेतु 1.68 लाख की धनराशि का भुगतान उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 5-11-77 द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के सूचनार्थ आख्या दिनांक 30-11-77 तथा 12-12-77 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन समयाभाव के कारण विचार नहीं हो सका । शासन को इस सम्बन्ध में पत्र भेजा जा रहा है एवं लालबाग क्षेत्र की रिकवरी ( ) के लिये जिलाधिकारी लखनऊ को लिखा जा चुका है तथा दिनांक 11-1-78 को उसका अनुस्मारक भी भेजा जा चुका है ।

विषय सं0 17 : नज़ूल योजना के पुराने विस्थापितों की भाँति अन्य पुराने विस्थापितों को बिना प्रीमियम लिये दुकान आवण्टित करने के सम्बन्ध में निर्देशानुसार विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जा रही है ।

विषय सं0 18: प्लानिंग विंग में आर्कीटेक्ट-कम-प्लानर पद पर कार्य कर रहे वरिष्ठ नगर नियोजक के पद-नाम "वरिष्ठ-नियोजक" रखे जाने के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत की जा रही है ।

क्रमशः - - -4.

विषय सं0 -19 : अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत भवनों की किश्तों की वसूली के सम्बन्ध में प्राधिकरण के निर्देशानुसार सूचना एकत्र करके अलग से प्रस्तुत की जा रही है ।

विषय सं0 -20 : प्राधिकरण के निर्णयानुसार ~~अग्रिम~~ विधिक राय प्राप्त कर ली गई है और तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

विषय सं0 -21: कृत कार्यवाही से प्राधिकरण को अवगत करा दिया गया था अब इस पर कोई कार्यवाही नही होनी है ।

विषय सं -22 : विस्तृत आख्या हेतु सूचना अन्य विकास प्राधिकरणों से एकत्रित की जा रही है ।

विषय सं0 -23 : नेहरु नगर, अम्बेदकर नगर तथा इन्दिरापुरी आदि बस्तियों को 600 वर्गफुट क्षेत्रफल पर मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुसार क्षेत्र का फिजिकल सर्वे किया जा रहा है । अब तक हुई प्रगति से अवगत कराते हुये आख्या प्राधिकरण के विचारार्थ अलग से प्रस्तुत की जा रही है ।

विषय सं0 -25 : अलीगंज योजना में पत्रकारों को आवण्टित भूखण्डों की रजिस्ट्री किये जाने के सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

विषय सं0 -26 : अलीगंज के भू-स्वामियों को एक्स-ग्रेशिया भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार अनुदान हेतु शासन को पत्र संख्या 70एक्स-11-41-1942/आवास दिनांक 13-12-77 तथा उसका अनुस्मारक भी भेजा जा चुका है ।

विषय सं0 -27: मोहल्ला लालकुआँ स्थित दाता रसूल खाँ क्षेत्र जिसमें लगभग 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि सम्मिलित है, के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

विषय सं0 -28: मोहल्ला गणेशगंज लखनऊ स्थित अहाता मातादीन क्षेत्र आवासीय योजना को निर्मित करने के सम्बन्ध में निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

विषय सं0 -29 : लखनऊ विकास प्राधिकरण में मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक द्वारा प्रस्तावित शमन शुल्क के निर्देश लागू किये जाने के सम्बन्ध में अध्ययन करके प्रस्तावित शमन शुल्को को अन्तिम रुप नहीं दिया जा सका है, जो निकट भविष्य में पूरा करके उप समिति की अनुशंसायुक्त आख्या विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जायगी ।

क्रमशः - - 5

विषय सं0 -30 : 100 शैयाओं का ई0एस0आई0 अस्पताल लखनऊ-कानपुर रोड पर बनाने हेतु निर्णयानुसार प्रस्तुत भवनचित्र की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ।

विषय सं0 -31 : के0पी0 ट्रस्ट इलाहाबाद, लाटूश रोड पर दुकान के प्रस्तावित निर्माण के सम्बन्ध में हुये निर्णयानुसार शासन से भू-उपयोग परिवर्तन प्रदान करने हेतु इस विभाग के पत्रांक 3275/एच0ओ0पी0/जी0सी0 दिनांक 5-12-77 शासन को भेजा जा चुका है तथा शासन के निर्देश अपेक्षित हैं ।

विषय सं0 -32 : आर0टी0ओ0 आफिस प्रांगण में प्राधिकरण द्वारा व्यवसायिक केन्द्र बनाये जाने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्णयानुसार शासन को पत्रांक 650/एस0टी0पी0/एल0डी0ए0 दिनांक 23-11-77 भेजा जा चुका है तथा शासन द्वारा अपेक्षित सूचना भी उपलब्ध करा दी गई है । शासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

ह0/- बाबू राम
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
4-2-78

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30-11-77 में लिये गये निर्णयानुसार कार्यान्वयन की प्रगति आख्या

विशेष प्रस्ताव सं0 -1: विकास प्राधिकरण की मीटिंग हेतु निर्धारित कोरम नोट किया गया तथा भविष्य में तदनुसार कार्यवाही की जायगी ।

विशेष प्रस्ताव सं0 -2: मीटिंग के एजेण्डा तथा उस पर टिप्पणियाँ पर्याप्त समय पूर्व भेजने हेतु प्राधिकरण का निर्देश नोट किया गया तथा तदनुसार ही कार्यवाही की जा रही है ।

विषय संख्या -1: प्राधिकरण के निर्देशानुसार पूर्व मीटिंग दिनांक 10-10-77 तथा 30-11-77 में लिये गये निर्णयानुसार कार्यान्वयन प्रगति आख्या प्रस्तुत की जा रही है । जहाँ तक पूर्व बैठक दिनांक 10-10-77 की मद संख्या 26 में लिये गये एक्स-ग्रेशिया के भुगतान हेतु निर्णय का प्रश्न है, अनुदान हेतु शासन को पत्र संख्या 70 एक्स-11-41-1942/आवास दिनांक 13-12-77 भेज दिया गया है तथा व्यक्तिशः प्रयास भी किया जा रहा है ।

विषय संख्या -2 : लखनऊ विकास प्राधिकरण के पुराने शासकीय ऋणों की रि-शेड्यूलिंग के सम्बन्ध में निर्देशानुसार सूचना एकत्र करके दिनांक 12-12-77 की बैठक में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कुछ और सूचनाये एकत्र करने का निर्देश दिया गया है, जिन्हे एकत्र करके प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायगा ।

विषय संख्या -3 : विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों पर वेतन आयोग 1972-73 द्वारा निर्धारित वेतनमान लागू होने के उपरान्त अधिष्ठान और वेतन-भत्ते के मद का 22 प्रतिशत अनुदान हेतु अनुवर्ती सहायता बन्द होने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशानुसार शासन को पत्र भेज दिया गया है तथा व्यक्तिशः प्रयास भी किया जा रहा है पत्रोत्तर प्राप्त होने पर शीघ्र कार्यवाही की जायगी ।

विषय संख्या -4 : प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों की भविष्य निधि का बैंक में सेविंग खाते खोले जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों को नोट किया गया तथा अनुपालन आख्या निर्देशानुसार जून, 1078 की बैठक में प्रस्तुत की जायगी ।

क्रमशः - - -2-

विषय संख्या -5 :टू वे रोड, अशोक मार्ग पर 5। एकड़ क्षेत्र के शासन द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन का अनुमोदन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

विषय सं0 - 6 : आवण्टित भूखण्ड के लीज होल्ड अधिकार हस्तान्तरण करने के लिये 40 प्रतिशत तथा नीलाम द्वारा दिये गये भूखण्डों के लीज होल्ड अधिकार 15 प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क लेकर हस्तान्तरित करने की अनुमति के सम्बन्ध में निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

विषय सं0 - 7 : अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना में गृह निर्माण समितियों को अधिगृहीत भूमि के बदले भूमि आवण्टन करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशानुसार अपेक्षित सूचनायुक्त आख्या दिनांक 12-12-77 की बैठक में प्रस्तुत की गई थी जिसमें लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

विशेष प्रस्ताव सं0 3:प्राधिकरण के द्वारा निर्दिष्ट विषय प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12-12-77 को प्रस्तुत किये गये थे जिसमें कुछ विषयों पर विचार हो गया है । शेष पुन: प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12-12-77, में लिये गये निर्णयानुसार कार्यान्वयन प्रगति आख्या

0 - 0 - 0 -

विशेष प्रस्ताव संख्या :- निर्णयानुसार प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30-11-77 तथा 12-12-77 के कार्यवृत्त को पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है ।

विशेष प्रस्ताव संख्या -2 विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77, 30-11-77 एवं 12-12-77 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यान्वयन प्रगति आख्या प्रस्तुत की जा रही है ।

विषय संख्या-1: लखानऊ विकास प्राधिकरण के स्थापना से पहिले के ऋणों की वास्तविक स्थिति और वसूली की प्रगति के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा कुछ अन्य सूचनाये वाँछित है । चूँकि मीटिंग के कार्यवृत्त का अनुमोदन विलम्ब से हो सका अतएव सूचना प्रस्तुत नही की जा रही है । सूचना एकत्र की जा रही है और अगली बैठक में प्रस्तुत की जायेगी ।

विषय सं0 -2: अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना में गृहनिर्माण समितियों की भूमि को अर्जन से मुक्त करने तथा वैकल्पिक भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

विषय सं0 -3: विभागीय निर्माण इकाई के गठन के सम्बन्ध में गठित उप समिति की अनुशंसा विचार हेतु बैठक में प्रस्तुत की जा रही है ।

विषय सं0 -4: इस विषय पर विस्तृत आख्या पुन: प्रस्तुत की जा रही है ।

सचिव
लखानऊ विकास प्राधिकरण ।

विषय सं0 -3

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग : सचिव कार्यालय ।

विषय : महानगर गृह योजनान्तर्गत करामत मार्केट के सामने की दुकानों में से एक दुकान के आवण्टन हेतु प्रीमियम से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

सारांश : दीपावली चक्रवर्ती निवासी ईस्ट बंगाल रिफ्यूजी कालोनी खान्ना मिल डालीगंज, लखनऊ ने प्रार्थना की है कि प्रार्थिनी एक असमर्थ युवा लड़की है जो बचपन से ही अनाथ है, जिसका एक फेफड़ा उसके आठ वर्ष की आयु में ही निकाल दिया गया था, जिसके कारण वह अपंग व असमर्थ हो गई एवं जीवन-यापन के लिये उपरोक्त व्यवसायिक केन्द्र में एक दुकान का आवण्टन चाहती है । जिसमें दुकान चलाकर वह अपना जीवन-यापन करेगी ।

उपरोक्त व्यवसायिक केन्द्र में एक दुकान अभी भी खाली है जिसके कारण किराये का नुकसान हो रहा है । अत: उक्त प्रार्थना पर विचार किया जा सकता है ।

ह0/- बाबू राम
सचिव

उपाध्यक्ष के आदेश :

विकास प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

ह0/- उपाध्यक्ष ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग : प्लानिंग विभाग ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पहले से स्वीकृत मास्टर प्लान के प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट "डी" ज़ोन नं0 8 तथा 9 का ड्राफ्ट ज़ोनल प्लान प्राधिकरण के अभियन्त्रण विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर {ड्राफ्ट ज़ोनल प्लान के लिये अध्याय 3{9} यू0पी0 अरबन डेवलपमेण्ट ऐक्ट के आधार पर} बनाकर प्लान की संक्षिप्त रूपरेखा तथा प्रस्तावों को समझाते हुये एक आख्या अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है । प्राधिकरण की स्वीकृति के पश्चात् उक्त प्लान जनता की जानकारी एवं विचारार्थ प्रकाशित किया जायेगा, और इसकी प्रतियाँ उपलब्ध की जायेंगी । जिससे सभी व्यक्ति इसे जाँच सके एवं अपने विचार व्यक्त कर सके ।

ह0/-
सहायक नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

ह0/- बाबू राम
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

ह0/- के0पी0 सिंह,
21-11-77
वरिष्ठ नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

ह0/- एन0बी0 लाल
23-11-77
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग: प्लानिंग विभाग ।

विषय-वस्तु :पत्रावली पर संलग्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के आवास के हेतु जो डिज़ायन कार्यालय प्रांगण में जिस स्थल पर प्रस्तावित की गई है वहाँ का रेयर सेट बैक 35 फिट से कम आ रहा है । स्थान की कमी के होने के कारण इस भूमि पर इस डिज़ायन से अतिरिक्त दूसरा कोई भी इकनोमिकल डिज़ायन का समावेश करना सम्भव न हो सकेगा पायेगा । फलस्वरूप रेयर सेट-बैक 35 फिट से कम आ रहा है । अत: प्राधिकरण द्वारा इस सेट-बैक की छूट लेना अनिवार्य है ताकि यह डिज़ायन स्थल निर्मित कराई जा सके ।

ह0/-
सहायक वास्तुविद्
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

ह0/- बाबू राम
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

ह0/- के0 पी0 सिंह
वरिष्ठ नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।
21-11-77

प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

ह0/-
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

विषय सं0 -6

लखानऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय-वस्तु : मुख्य अभियन्ता के कार्यालय की स्थापना हेतु स्टाफ ।

लखानऊ विकास प्राधिकरण में मुख्य अभियन्ता के अधीन निम्नलिखित विभाग है :-

1-आवास खण्ड -1
2- आवास खण्ड-2
3- विकास खण्ड-3
4- विकास खण्ड-4
5- अर्जन विभाग ।

इन विभागों की कार्य प्रणली पर समुचित नियन्त्रण हेतु यह आवश्यक है कि मुख्य अभियन्ता के एक नियोजित कार्यालय की स्थापना की जावे । अभी तक मुख्य अभियन्ता का कोई भी कार्यालय विकास प्राधिकरण में नहीं गठित हुआ है । वर्क-वार्ज स्टाफ से ही कार्य कराया जा रहा है, जो कि अपर्याप्तजनक है । अन्य विकास प्राधिकरण में मुख्य अभियन्ता के कार्यालय का गठन स्टाफिंग पैटर्न की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है परन्तु लखानऊ विकास प्राधिकरण में मुख्य अभियन्ता कार्यालय का गठन न होने के कारण दैनिक कृत्यों के निष्पादन में कठिनाई होती है । स्टाफिंग-पैटर्न में मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु निम्नलिखित पदों के सृजन की प्रस्तावना की गई है :-

क्रम सं0	पदों का नाम	संख्या	वेतनक्रम
1-	मुख्य अभियन्ता	एक	1400-1800
2-	टेक्निकल सहायक (मु0अ0)	एक	550-1200
3-	कार्यालय अधीक्षक	एक	400-550
4-	लिपिक प्रथम श्रेणी	एक	250-425
5-	लिपिक द्वितीय श्रेणी	दो	200-320
6-	पी0ए0	एक	300-500
7-	ड्राइवर	एक	175-250
8-	चपरासी	एक	185-215

उपरोक्त तालिका में अंकित पदों में से फिलहाल अभियन्त्रण विभाग के दैनिक कार्यों में नियुक्ति हेतु मुख्य अभियन्ता के कार्यालय के गठन हेतु निम्नलिखित पदों के सृजन की अनुशंसा की जाती है :-

क्रम सं0	पदों का नाम	संख्या	वेतनक्रम	अनुमानित वार्षिक व्यय
1-	अधीक्षक कार्यालय	एक	400-550	7008/-
2-	पी0ए0	एक	300-500	5554/-
3-	लिपिक प्रथम श्रेणी	एक	250-425	4656/-
4-	लिपिक द्वितीय श्रेणी	एक	200-320	7740/-

क्रमशः - - -2.

उक्त पदों को फिलहाल एक वर्ष के लिये सृजित करने की प्रस्तावना की जाती है । एक वर्ष में इन पदों पर लगभग 24,958/- रुपये व्यय होगा । अन्य पदों की पूर्ति विकास प्राधिकरण में उपलब्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से कर ली जायेगी ।

ह0/- एस0एन0पी0अग्रवाल,
मुख्य अभियन्ता

उपाध्यक्ष,

कृपया इस विषय को आगामी लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में रखने की अनुमति प्रदान करें ।

ह0/- एस0एन0पी0अग्रवाल
मुख्य अभियन्ता

ह0/-एन0बी0 लाल
उपाध्यक्ष
24-11-77

विषय संख्या - 9

पुनरीक्षित बजट 1977-78

"विवरण अलग से प्रस्तुत है"

विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

लखनऊ विकास प्राधिकरण में विधि अनुभाग एवं विक्रय अनुभाग की स्थापना की जा चुकी है । प्रथम अनुभाग हेतु विधि अधिकारी का पद सृजित किया जा चुका है परन्तु अभी नियुक्ति न करके कार्य उप नगर अधिकारी से लिया जा रहा है । इसी प्रकार विक्रय विभाग एक सहायक नगर अधिकारी के अधीनस्थ खोला गया है परन्तु दोनों ही विभागों में स्टाफ नहीं है और अन्य विभागों से एक दो कर्मचारी इनके साथ लगा दिये गये हैं । परन्तु इससे कार्य चलना सम्भव नहीं है । अत: न्यूनतम आधार पर कार्य संचालन हेतु स्टाफ की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है जो संलग्न है । निम्नवत् स्टाफ की आवश्यकता फिलहाल स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जा रही है :-

पद	वेतनमान	विधि विभाग	विक्रय विभाग	योग
प्रधान लिपिक	280-460	एक	एक	दो
प्रथम श्रेणी लिपिक	230-350	दो	पाँच	सात
द्वितीय श्रेणी लिपिक	200-320	छ:	छ:	बारह
अनु0 लेखाकार	280-460	-	एक	एक
इन्स्पेक्टर	230-350	-	एक	एक
स्टेनो-कम-टाइपिस्ट	200-320	-	एक	एक
चपरासी	165-215	तीन	चार	सात
योग :		बारह	उन्नीस	इकतिस

उपरांकित स्टाफ को शासन में प्रचलित वेतन एवं अनुमन्य भत्तों पर उपाध्यक्ष द्वारा नियुक्ति किया जायेगा तथा वार्षिक व्यय भार रू0 1,30,920/- होगा । चालू वर्ष में केवल 2 माह हेतु रू0 21,820/- का व्यय होगा है ।

प्राधिकरण से अनुरोध है कि कृपया उपरांकित स्टाफ स्वीकृत करने की कृपा करें ।

ह0/-बाबू राम
सचिव

विधि विभाग एव विक्रय विभागों के लिये स्टाफ-विवरण

पदों का नाम	पद संख्या	वेतनमान	मासिक वित्तीय भार	वार्षिक वित्तीय भार	विभागानुसार आवश्यकता			
					विधि विभाग		प्रापर्टी विभाग	
प्रधान लिपिक	दो	280-460	920	11,040		एक		एक
प्रथम श्रेणी लिपिक	सात	230-350	2660	31,920		दो		पाँच
द्वितीय श्रेणी लिपिक	बारह	200-320	4080	48,960		छः		छः
अनुभागीय लेखाकार	एक	280-460	460	5,520		--		एक
स्टेनो-कम-टाईपिस्ट	एक	200-320	340	4,080		--		एक
इन्स्पेक्टर	एक	230-350	385	4,620				एक
चपरासी	सात	165-215	2065	24,780		तीन		चार
योग :-	इकतिस		10,910	1,30,920		बारह		उन्नीस

विषय सं0 -7

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

कुर्सी रोड पर वन विभाग के 1300(तेरह सौ) एकड़ भूमि पर एक कैटिल कालोनी स्थापित करने की प्रस्तावना है । यह योजना शासकीय स्तर पर हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार वर्ष 1976 में प्रारम्भ की गई थी । इस योजना पर अब 1-62 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है ।

कुर्सी रोड पर कामधेनु नगर की 313·43 लाख रुपये की योजना जिसकी इकोनामिक्स संलग्न है, विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 8-7-77 में स्वीकृत्यार्थ प्रस्तुत की गई थी । परन्तु इकोनामिक्स की स्वीकृति नहीं प्राप्त हो सकी । इसी सम्बन्ध में आयुक्त एवं सचिव, स्वायत्त शासन की अध्यक्षता में दिनांक 17-8-77 को एक बैठक हुई, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है तथा जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कुर्सी रोड पर वन विभाग की भूमि पर कैटिल कालोनी का कार्य चालू रखा जाय । अतः शासन के निर्देशानुसार कुर्सी रोड कैटिल कालोनी का कार्य चालू रखने तथा साथ ही साथ रु0 313-43 लाख की इकोनामिक्स की स्वीकृति से सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के समक्ष स्वीकृत्यार्थ प्रस्तुत है ।

ह0/- नगर अभियन्ता (विकास-2)

सचिव/उपाध्यक्ष,

उपरोक्त विषय को विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें ।

ह0/- मुख्य अभियन्ता

ECONOMICS OF KAMDHENU NAGAR

Project Cost Rs.313.43

A. Cost of development	Per Hect.	Total in lacs
1. Cost of Land	40919	91.24
2. Site levelling etc.	1000	2.23
3. Roads & drains	30000	66.90
4. Water supply	15000	33.45
5. Electrification	10000	22.30
6. Storm water drain	15000	33.45
7. land sca/ama	2000	4.46
8. Administrative block etc	L.S.	5.00
		259.03
B. Supervisory and Administrative Charges 10%		25.90
C. Interest on investment on Dev. cost for half of the project period 10% for one year	L.S.	28.50
	Total cost	313.43

Hence cost of land per sq.M.
(Plot Area 70.36 Sq.m.) = 313.43 X 170.36 = Rs. 44.50 sq.m.

Investment	Receipt	Lacs
A. Rs. 313.43 lacs	1. Advance	
	2. Deposit	66.00
	2. Out right sale	60.43
	3. Instalment (257.96-66)	191.40
	4. Comm.plots out right sale	0.56
		318.39

Let surplus A minus B

313.43 - 318.39 = 4.96

नगर के बाहर कालोनी के निर्माण की प्रगति पर विचार करने हेतु आयुक्त एवं सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में एवं उनके कक्ष में दिनांक 17 अगस्त, 1977 को मध्यान्ह 12 बजे हुई बैठक की कार्यवाही का विवरण

- - - - - -

इस बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :-

1- श्री आर0 बी0 सक्सेना, आयुक्त एवं सचिव, स्वायत्त शासन विभाग - अध्यक्ष ।
2- श्री राम चन्द्र टकसे, जिलाधिकारी, लखनऊ ।
3- श्री मोहर सिंह, उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ।
4- श्री तिलकमान सिंह, दुग्ध विकास अधिकारी, लखनऊ ।
5- श्री नरेश दयाल, उप सचिव, पशुपालन ।

आयुक्त एवं सचिव, स्वायत्त शासन विभाग कैटिल कालोनी के सम्बन्ध में की गई प्रगति की जानकारी चाहते थे । परन्तु इस विषय पर विस्तृत रूप से प्रकाश नहीं डाला जा सकता, क्योंकि प्रशासक, नगर महापालिका लखनऊ इस बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे और न ही उनकी ओर से किसी प्रतिनिधि ने ही इस बैठक में भाग लिया । अब तक जो रिपोर्ट प्रशासन, नगर महापालिका, लखनऊ से प्राप्त हुई है उसके अनुसार कुर्सी-रोड पर वन विभाग से प्राप्त 450 एकड़ भूमि पर विकास प्राधिकरण द्वारा 1,62 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है । आगे की कार्यवाही के विषय में आयुक्त एवं सचिव, स्वायत्त शासन ने निर्देश दिये कि कैटिल कालोनी के विकास का कार्य जारी रखा जाय ।

दुधारू पशुओं को कैटिल कालोनी में ले जाने के विषय पर भी विचार-विमर्श किया गया । इस पर यह निर्णय लिया गया कि नगर महापालिका कैटिल कालोनी में ऐसी सुविधा डेरी मालिकों को दे जिससे कि वह नगर के बीच से दुधारू पशुओं को कैटिल कालोनी को ले जाये । साथ ही साथ नगर महापालिका दुधारू पशुओं को रखने वाले व्यक्तियों के लिये कुछ ऐसे नियम भी बनाये जिसे उनके मालिक इन्हे नगर में रखना बन्द करके कैटिल कालोनी में इन्हें ले जाने पर प्रेरित हो ।

जिलाधिकारी लखनऊ ने अपने उक्त प्रस्ताव को पुन: दोहराया कि नगर के अन्य क्षेत्रों में भी कैटिल कालोनी का निर्माण किया जाय ताकि वहाँ के नागरिकों को दूध मिलने में कोई कठिनाई न हो । इस सम्बन्ध में प्रशासक, नगर महापालिका उन स्थानों के विषय में अपनी आज्ञा दे जिस पर कैटिल कालोनी बनाया जाना प्रस्तावित हो और भूमि भी उपलब्ध हो सके ।

- 0 - 0 -

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय :- नियोजन विभाग की बैठक (त्रैमासिक योजना प्रगति पर विचार हेतु) दिनांक 11-10-77 पर विचार ।

नियोजना विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वार्षिक योजना की त्रैमासिक प्रगति समीक्षा पर विचार-विमर्श हेतु एक बैठक 11-10-77 को सचिवालय में हुई थी जिसमें प्राधिकरण की ओर से मुख्य लेखाधिकारी ने भाग लिया था । बैठक की कार्यवाही के विकास प्राधिकरण से संबंधित अंश उद्धरण अंश संलग्न है ।

बैठक में प्राधिकरण को वर्ष 1976-77 में शासन से प्राप्त 2.50 करोड़ की आधारित पूँजी (ब्याज दर 9.5 प्रतिशत) पर विचार-विमर्श हुआ । आयुक्त एवं सचिव, नियोजन विभाग ने उपभोग की स्थिति जानना चाही है, जिसके उत्तर में उनको बताया गया कि उक्त ऋण-प्राविधान वर्ष 1977-78 में कर लिया गया है तथा पोस्ट आफिस कम्पलेक्स पर अब तक रु0 72.00 लाख व्यय किया गया है तथा कम्पलेक्स की आय से उसकी परिपूर्ति कर दी जायेगी परन्तु नियोजन सचिव ने इस बात पर आपत्ति व्यक्त की कि आधारित पूँजी से बिना शासन की स्वीकृति के कम्पलेक्स पर व्यय न किया जाना चाहिये था उन्होंने यह भी कहा कि इसकी परिपूर्ति शीघ्र ही कर दी जाये ।

इस सम्बन्ध में यह इंगित करना उचित प्रतीत होता है कि हजरतगंज काम्पलेक्स के सम्बन्ध में (रु0 95 लाख) का ऋण सेण्ट्रल बैंक से स्वीकृति कराया गया था जिसमें से (40 लाख) का ऋण प्राप्त भी हो चुका है । इस ऋण पर ब्याज की दर 15 प्रतिशत है परन्तु उपरोक्त आधारित ऋण पूँजी के प्राप्त हो जाने पर बैंक से 15 प्रतिशत ब्याज की दर पर लेना उचित नहीं समझा गया तथा सीडकैपिटल से धनराशि का भुगतान किया गया ~~अ~~ इससे दो लाभ प्राधिकरण को प्राप्त हुये ।

सर्व प्रथम यह कि उच्च ब्याज की दर से बचा गया तथा सीड-कैपिटल को एक ऐसी चालू योजना में व्यय करना प्रारम्भ कर दिया गया जिससे पूँजी उत्पादन शीघ्र हो होने की आशा है । इसी कारणवश मूल बजट में संस्थागत ऋणों के अन्तर्गत केवल एक लाख रुपये का ही प्राविधान किया गया है । शेष धनराशि ऋण-माँगपत्र की धनराशि से या पूँजी-माँगपत्र की धनराशि से व्यय की जायेगी ।

आयुक्त एवं सचिव नियोजन विभाग की आपत्ति का निराकरण केवल निम्नलिखित दो उपायों से हो सकता है ।

क)- हजरतगंज कम्पलेक्स पर सीड-कैपिटल से व्यय किये जाने की शासन से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय ।

या ख)- सीड-कैपिटल से जितनी धनराशि व्यय की गई है या व्यय की जा रही है, की परिपूर्ति डिबेन्चर्स की धनराशि से कर दी जाय एवं हजरतगंज कम्पलेक्स से आय प्राप्त होने पर डिबेन्चर्स की धनराशि की परिपूर्ति उससे कर दी जायगी ।

क्रमश : - - -

प्रश्नगत विषय उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि यह नीति विषयक मामला है अत: उपाध्यक्ष महोदय ने इस विषय को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये हैं । अत: प्राधिकरण को आदेशार्थ प्रेषित है कि वह कृपया "क" अथवा "ख" को अनुमोदित करने का कष्ट करें ।

ह0/- सचिव

वर्ष 1976-77 की वार्षिक योजना तथा वर्ष 1977-78 की प्रथम त्रैमासिक योजना की प्रगति समीक्षा की बैठक की कार्यवाही दिनांक 11-10-77 का उद्धरण

उपस्थिति संलग्न है ।

आवास :- आवास सेक्टर के लिये 1976-77 में रु0 213·00 लाख का परिव्यय स्वीकृत था, जिसके समक्ष आय-व्यय का प्राविधान रु0 613-00 लाख किया गया । आय व्ययक में अधिक प्राविधान का विशेष कारण यह था कि इसमें रु0 400·00 लाख का प्राविधान आवास विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण के लिये सीड कैपिटल हेतु सम्मिलित कर लिया गया, जब कि उसके समक्ष कोई परिव्यय उपलब्ध नहीं था । विभाग द्वारा वर्ष 1976-77 का कुल व्यय रु0 650·00 लाख बताया गया । यद्यपि कुल मिलाकर व्यय बजट प्राविधान से अधिक हुआ तथापि निम्नलिखित दो योजनाओं में शार्ट-फाल हुआ :-

		परिव्यय	ब्याज	शार्टफाल
1-	सब्सीडाइज़ इण्डस्ट्रियल योजना	56·00	43·98	12·02
2-	लो इनकम ग्रुप योजना	31·50	30·00	1·50

विशेष सचिव नियोजन द्वारा शार्टफाल का कारण पूछने पर विभाग ने यह बताया कि पहले रायबरेली स्थित श्रमिक क्वार्टरों का निर्माण कार्य केन्द्रीय भवन अनुसन्धानशाला द्वारा किया जाना था परन्तु बाद में यह तय हुआ कि इनका निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित किया जाय । इसके लिये सम्बन्धितविभागों के बीच पत्र व्यवहार में काफी समय लग गया । इसलिये पूरे परिव्यय का उपयोग नहीं हो सका इस सम्बन्ध में यह भी बताया गया कि इस योजना के अन्तर्गत 600 मकान बनाने का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध केवल 45 मकान निर्मित हो सके तथा 142 का शार्टफाल हुआ ।

इस विषय पर नियोजन सचिव ने यह जिज्ञासा व्यक्त की कि इस योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तथा आवास निदेशालय विकास परिषद् /विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक कितने मकान बनाने थे और उनके समक्ष कितने मकान बन चुके हैं । इसकी वर्षवार सूचना दी जाय । उन्होंने यह भी जानना चाहा है कि जो भी आवास बन चुके हैं उनका उपयोग शतप्रतिशत हो रहा है अथवा नहीं ? संयुक्त सचिव आवास ने बताया कि यद्यपि तो उपयोग शतप्रतिशत है तथापि उसमें अनधिकृत रूप से कुछ मकानों पर कब्जा किया गया है जिसमें कुछ सुरक्षा विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं । नियोजन सचिव ने कहा है इसकी वास्तविक सूचना निम्नलिखित तालिका में उपलब्ध कराई जाय ।

क्रमशः :- - -

स्वीकृत आवासों की संख्या	निर्मित आवासों की संख्या	आवासों की संख्या जिनमें [illegible] व्यवित रहते हैं	आवासों की संख्या जिसमें अनधिकृत रूप से लोग रह रहे हैं।
1	2	3	4
वर्ष 1974-75 अब तक की स्थिति			

(कार्यवाही- आवास विभाग)

नियोजन सचिव ने वर्ष 1976-77 में लखनऊ विकास प्राधिकरण को रू0 250-00 लाख तथा आवास विकास परिषद का 150·00 लाख सीड कैपिटल के रूप में देय धनराशि के विषय में यह जानना चाहा कि इसके समक्ष संस्थागत वित्त से उक्त संगठनों द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त की गई। विभाग द्वारा यह बताया गया कि संस्थागत वित्त से कोई भी धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं की गई। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इस धनराशि का उपयोग रिवाल्विंग फण्ड के रूप में किये जाने का प्रस्ताव है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि ने बताया कि रू0 250/- लाख में से लगभग 72 लाख रूपये हजरतगंज कामर्शियल कम्पलेक्स के निर्माण तथा भूमि अध्यापन पर व्यय किया गया। नियोजन सचिव ने इस बात पर आपत्ति व्यक्त की कि कैपिटल में से कामर्शियल काम्पलेक्स पर कोई धनराशि व्यय नहीं की जानी चाहिये थी और न तो इसके लिये शासन की स्वीकृति ही प्राप्त की गई। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका है। नियोजन सचिव ने यह आग्रह किया कि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति शीघ्र कर दी जाय तथा भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाय कि सीडकैपिटल की धनराशि का उपयोग रिवाल्विंग फण्ड के रूप में शीघ्रातिशीघ्र किया जाय।

आवास विकास परिषद ने भी 150 लाख रूपये के उपयोग के विषय में जो स्थिति बताई वह असन्तोषजनक नहीं थी।

- - - - -

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग :- सचिव कार्यालय ।

विषय :- सरोजनी नगर क्षेत्र में कानपुर रोड पर 100 शैया वाले ई0एस0आई0 अस्पताल के निर्माण के लिये तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन आलमबाग व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिये सड़क के मध्य से 125 फुट की दूरी के अन्तर्गत निर्माण किये जाने की छूट देने के सम्बन्ध में ।

सारांश :-दिनांक 24-11-77 को एक बैठक विभागाध्यक्ष चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में हुई जिसमें आयुक्त एवं सचिव, आवास एवं नगर विकास भी उपस्थित थे । उत्तर प्रदेश रीजन इम्प्लाइज स्टेट इन्स्योरेन्स कार्पोरेशन द्वारा कानपुर रोड पर एक अस्पताल बनाने की योजना है । जिसका भवनचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत किया जाना है । परन्तु नियमानुसार अस्पताल की बाउण्डरी सड़क के मध्यसे 125 फुट दूर होनी चाहिए । जिसके लिये उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हे सड़क के मध्य से 125 फुट के अन्दर भी एक अस्थाई रूप से दीवाल उठाने की अनुमति दे दी जाय जो सड़क के मध्य से लगभग 60-70 फुट दूरी पर होगी । इस प्रकार जो दूरी सड़क के मध्य से 125 फुट पर होनी चाहिए, अब उसके बजाय 80 या 100 फुट लगभग रह जायगी ।

इसी प्रकार से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड पर आलमबाग क्षेत्र में एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण किया जाना है । जिसमें भी सड़क के मध्य से 125 फुट दूरी के अन्तर्गत निर्माण प्रस्तावित है । चूँकि यह व्यवसायिक केन्द्र कानपूर रोड पर ही स्थित है अतएव उपरोक्त की भाँति ही विकास प्राधिकारण को भी यह छूट प्राप्त होनी चाहिए ताकि वह भी अवशेष भूमि को निर्माण के लिये प्रयोग कर सके ।

विभागीय अधिकारी की अनुशंसा :

ई0एस0आई0 द्वारा प्रस्तावित अस्पताल का निर्माण सार्वजनिक हित के लिये है और इससे भूमि का सदुपयोग ही होगा अतएव इसे 125 फुट दूरी के प्रतिबन्ध से मुक्त किया जाना उचित ही होगा तथा इसी भाँति लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त किया जाना वाँछनीय है ।

ह0/- बाबू राम
सचिव

उपाध्यक्ष के आदेश :

उपरोक्त आख्या विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जाय ।

ह0/- एन0 बी0 लाल
उपाध्यक्ष
28-11-77

विषय संख्या -12

विभागीय निर्माण इकाई के गठन के सम्बन्ध में गठित उप समिति की अनुशंसा पर विचार ।

"विवरण अलग से प्रस्तुत है"

लखानऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

लेखा विभाग ।

विषय-वस्तु :

लखानऊ विकास प्राधिकरण के गठन से पूर्व नगर महापालिका के तत्कालीन विकास विभाग में उसकी कार्य मात्रा के आधार पर लेखा विभाग का गठन था, जिसकी व्यवस्था, लेखाधिकारी, नगर महापालिका द्वारा होती थी । विकास प्राधिकरण के गठन के उपरान्त लेखा विभाग का पुनर्गठन करना अत्यन्त आवश्यक हो गया क्योंकि प्राधिकरण को अपने लेखो-जोखो स्वयं रखाता है । लेखा विभाग को विधि-परिस्थितियों के बदल जाने के अतिरिक्त कास्ट एकाउण्टैण्ट की नियुक्ति भी हो गई है परन्तु उनका भी कोई विधिवत् विभाग न होने के कारण उनके कार्य संचालन में बाधा पड़ रही है ।

लेखा विभाग के स्टाफिंग पैटर्न को बनाने के लिये मुख्य लेखा अधिकारी को कानपुर एवं देहली भेजा गया, जहाँ की कार्य संचालन व्यवस्था देखने के उपरान्त उन्होने स्टाफिंग पैटर्न प्रस्तुत किया । संगठनात्मक तालिका "क" के अनुसार सेण्ट्रल लखा विभाग, मुख्य लेखा अधिकारी के अधीन तथा बजट, वित्त, कास्टिंग, आडिट, कास्ट एकाउण्टैण्ट के अधीन कार्य करेंगे । प्रत्येक के अधीनस्थ दो-दो लेखाधिकारी रहेंगे । वर्तमान कास्ट एकाउण्टेण्ट ही कास्ट एकाउण्ट्स आफिसर डिजिगनेट होंगे । इसी प्रकार मुख्य लेखा अधिकारी के अधीन कार्यरत दो सहायक लेखा अधिकारी, नये लेखा अधिकारी पदों पर कार्यरत रहेंगे इससे व्ययभार में कमी उत्पन्न हो जायगी जो हितकर होगा ।

मुख्य लेखा अधिकारी की आख्या उपरोक्त के सम्बन्ध में संलग्नक "।" पर तथा संगठनात्मक तालिका संलग्नक 2 पर देखी जा सकती है ।

ल लेखा विभाग के उपरोक्त संगठन के प्रश्न पर संलग्नक 3 देखने का कष्ट करें । कास्ट एकाउण्ट्स आफिसर का विभाग पूर्णतया नया विभाग होगा इस विभाग में निम्नलिखित पद उनके सामने अंकित संख्या एवं वेतनमानों में स्वीकृत होना है :-

लेखाधिकारी	दो	वेतनमान	550 - 1200
लेखाकार	एक		350 - 700
लेखा लिपिक	पाँच		230 - 350
द्वितीय श्रेणी लिपिक	चार		200 - 320
अवर अभियन्ता	दो		300 - 500

क्रमश : - - -

वरिष्ठ सम्परीक्षक	एक	वेतनमान	350 - 700
सहायक सम्परीक्षक	दो		300 - 500
स्टेनो	एक		300 - 500
अर्दली, चपरासी, फराश इत्यादि	नौ		165 - 215

इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को शासन के अनुमन्य भत्ते प्राप्त होंगे । इन नियुक्ति के कारणवश वार्षिक व्यय रू0 1,45,920/- होगा तथा चालू वर्ष में 4 माह के लिये लगभग रू0 48,640/- का व्यय होगा ।

इसी प्रकार वर्तमान लेखा विभाग के पुनर्गठन करने हेतु भी अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी जिस अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता है तथा जिसकी स्वीकृति वाँछनीय है उनकी संख्या एवं वेतनमान निम्नलिखित है :-

		वेतनमान
लेखाधिकारी	दो	550 - 1200
लेखाकार	तीन	350 - 700
सहायक लेखाकार	दो	300 - 500
विभागीय लेखाकार	दो	280 - 460
लेखा लिपिक	दस	230 - 385
द्वितीय श्रेणी लिपिक	दो	200 - 320
प्रधान खजान्ची	एक	280 - 460
सहायक खजान्ची	एक	230 - 385
स्टेनोज़	-	300 - 500
चपरासी अर्दली इत्यादि	दस	165 - 215
दफ्तरी	एक	170 - 225
गनमैन	एक	170 - 225

यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान कार्यरत स्टाफ के अतिरिक्त उपरोक्त स्टाफ है । अतिरिक्त व्ययभार रू0 1,47,480/- वार्षिक एवं चालू वर्ष में चार माह के लिये रू0 49,160/- होगा । उपरोक्त कास्ट एकाउण्ट्स आफिसर स्टाफ एवं लेखा विभाग का स्टाफ स्वीकृत हो जाने के उपरान्त आशा है कि इस विंग का पुनर्गठन हो जायगा ।

§1§ विकास प्राधिकरण के पूर्व निर्णय दिनांक 25-5-75 के मद संख्या 6,7 के अनुसार उपाध्यक्ष को उपरोक्त पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार निहित है ।

उपरोक्त आख्या प्राधिकरण को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

ह0/- के0बी0 सक्सेना
मुख्य लेखाधिकारी

उपाध्यक्ष,

कृपया उपर्युक्त आख्या प्राधिकरण को प्रस्तुत करने हेतु आदेश प्रदान कर दें ।

ह0/- बाबू राम
सचिव

प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें ।

ह0/-उपाध्यक्ष

As per instructions I went to Kanpur and Delhi to study the working system of accounts organisation of Kanpur Development Authority. The working system of accounts organisation of Kanpur Development Authority is almost similar to that of Lucknow Development Authority but the working system of accounts Department of Delhi Development Authority is some what different from that of Lucknow Development Authority. Delhi Development Authority's working may be judged from its accounts organisational chart placed at F/A. Since Delhi Development Authority is a large organisation than Lucknow Development Authority (as budget of Delhi Development Authority for 1977-78 is for Rs. 95.72 crores and that of Lucknow Development Authority is for Rs. 13.16 crores) its organisation is not proposed to be adopted at present. Despite Delhi Development Authority have also obtained through correspondence accounts organisational Chart of NOIDA (New Okhla Industrial Development Authority) & Madras Corporation which are placed at F/B & F/C.

2.(i) After going through all the above organisational charts of accounts organisation, I have prepared organisational chart of accounts organisation of Lucknow Development Authority (as per annexure I) which is based on most economy and suits the present requirements of Lucknow Development Authority. The present staff is quite inadequate as may be compared with that of Kanpur Development Authority (F/D).

(ii) As per proposed organisational chart (annexure I) Central accounts department will function under Chief Accounts Officer (to be appointed by Government as per provisions of U.P.Urban Planning and Development Act, 1973) and Budget, finance & costing and internal audit departments will function under Cost Accounts Officer (Cost Accountant already appointed by Lucknow Development Authority and is presently working). As is evident from annexure I two Accounts Officers will work under control of Chief Accounts Officer and two under control

.....2.

of Cost Accounts Officer. There will be three sections under Accounts Officers I & II and the work of Accounts Officer III will also be devided into two sections later on (one for costing & other for finance). There will be one internal audit section under Accounts Officers IV. The work of each section has been given in brief in annexure I. Accounts Officer II in respect of budget work (with budget section) will work under direct control of Cost Accounts Officer and will manage its wotk as per his guidence and instructions.

3.(i). The of G.P.F./Pension, Bank reconciliation (old), costing and finance and internal audit (as shown in annexure-I) will be in additions to present one. The work of G.P.F. was being done in Mahapalika which has been recently taken up. The posting of G.P.F. accounts is pending since 1963-64 which has to be brought upto date. In addition to it new procedure will also involve additional work. The pension section will check/finalize the cases of employees who have retired after formation of Lucknow Development Authority i.e. 13th Sep, 1974 and will be/retired in future but the cases of pension will continue to be prepared by the department concerned till this work is centralised and attached with the central establishment section of Lucknow Development Authority.

(ii) The position of bank reconciliation is quite far from satisfactory. The bank reconciliation is pending since 1967-68 as per position of each account is noted below :-

1. General Development U.C.B. 4/67
   S.B. 4/72

2. Aliganj housing Scheme fund Account :-
   (a) Bank of India from 4/74
   (b) U.C.B. from 1/75
   (c) I.O.B. from 4/76

3. HUDCO (d) U.C.B. from 4/75

Contd.....

That is why creation of separate Bank reconciliation section has been proposed. The bank reconciliation is a must and is required to be completed so that cases of misappropriation/embezzlament, if any, may detected and brought to light.

(iii) Creation of costing and finance section has been proposed with a view to take up the work of preparation of income and expenditure accounts and balance sheet as no such accounts have been prepared since formation of Lucknow Development Authority, i.e., 13th Sep, 1974. The preparation of such accounts is all the more necessary to exhibit the true financial position of assets and liabilities of Lucknow Development Authority. The balance sheet is also demanded by HUDCO and Bank whenever Lucknow Development Authority borrow loans from them as well as on requisition of Bank guarantee from banks. So preparation of such accounts is essential. In addition to it the funds are also required to be managed for which cash in flow and cash out flow statements need to be prepared. Funds management will also involve the work regarding investment of surplus funds and creation of sinking funds for repayment of loans. Since Lucknow Development Authority is an autonomous body, cost control and cost reduction is also necessary for which essential records will be required to be maintained. Introduction and preparation of commercial accounts is also necessary as Lucknow Development Authority is an autonomous body. This work will also be taken up. Other misc. works regarding costing and finance will also be included.

(iv) Internal audit has been suggested with a view that the deficiencies of different departments may be brought to light. It will also suggest preparation of records on modern system by prescribing proforma with consultation of costing section.

Contd.....

4.(i) The strength of each section and general staff has been indicated in annexure II which is based on minimum present requirements. The staff will be required more in case the work increases.

(ii) 4 Posts of Accounts Officers have been suggested (as per annexure I), Aaccounts Officer Costing and finance should be qualified as I.C.W.A. or chartered Accountant. Accounts Officer internal audit, Senior Auditor and Junior Auditors may be taken on deputation from A.G.U.P. or Examiner Local fund Accounts. The posts of Accounts Officer I & II may be continued to hold by present two asstt. Accounts Officer's who may be designated as Accounts Officer despite the fact they will continue to draw their pay as Asstt. Accounts Officer.

(iii) The financial impact has been worked out in annexure III. Theadditional burden of finance will amount to Rs.2.93 lacs (Rupees two lacs Ninty three thousand only). The total estab lishment cost which was proposed in the current year's budget will increase from Rs. 28 lakhs to Rs. 30.93 lakhs and the percentage of establishment cost will change from 3.1% to 3.5% which is nominal increase.

. . . . .

- - - - -

Part 'A' Staff of Accounts Department:

ANNEXURE II

NAME	ACCOUNT OFFICER I Cash Section I	GPF/Pension	Treasury
Accountant	1	1	-
Accounts Clerk	4	3	-
Second grade clerk	2	-	-
Head Cashiers	-	-	1
Asstt. Cashiers	-	-	3
Peons	2	2	2
Gunman	-	-	2
Total	9	6	8

Name	ACCOUNT OFFICER II Cash Section II	Budget	Bank Reconciliation
Accountant	1	1	1
Asstt. Accountants	1	-	2
Accounts clerks	4	2	3
Second grade clerks	2	-	-
Peons	2	1	1
Total :	10	4	7

Part 'B' NEW DEPARTMENT TO BE CONSTITUTED OF COSTING/FINANCE/INTERNAL AUDIT.

	Accounts Officer III Costing & Finances		Accounts Officer IV Internal Audit Section		General Staff	
Accountant	1	Senior Auditor	1	Deptt. Accountants	4	
Accounts Clerk	3	Junior Auditor	2	Accounts Officer	4	
Second grade clerk	2	Accounts clerk	2	Steno	2	
Junior Engineer	2	Second grade Clerk	2	Orderly	6	
Peons	2	Peons	2	Peons for camp	2	
				Farrash	1	
				Daftari	1	
Total :	10	Total :	9	Total:	20	

NOTE: Financial Implications given in Annexure III (A & B)

ANNEXURE III

Sl.No.	Name of posts	Scale	Total no.of posts	Existing numbers	Additional numbers	Total emoluments at present admissible	Total expenditure column
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Chief Accounts Officer	(to be appointed by Govt.)					
2.	Accounts Officer	550-1200	2	2(A.A.O.)	-	Rs: 900	Rs: 1800/-
3.	Accountants	350-700	5	2	3	Rs: 600	Rs: 3000/-
4.	Asstt. Accountants	300-500	3	1	2	Rs: 550	Rs: 1650/-
5.	Accounts Clerk	230-385	16	6	10	Rs: 400	Rs: 6400/-
6.	Deptt. Accountants	280-460	4	2	2	Rs: 800	Rs: 2000/-
7.	Second grade Clerks	200-320	4	4	-	Rs: 350	Rs: 1400/-
8.	Head Cashier	280-460	1	-	1	Rs: 500	Rs: 500/-
9.	Asstt. Cashier	230-385	3	3	-	Rs: 400	Rs: 1200/-
10.	Stenos	300-500	1	1	-	Rs: 550	Rs: 550/-
11.	Orderlies	165-215	3	-	3	Rs: 310	Rs: 930/-
12.	Peons	165-215)	10)	4)	6)	Rs: 280)	Rs: 1680/-)
13.	Peons for camp	165-215)	1)	-)	1)	Rs: 280)	Rs: 280/-) Rs.1960/-
14.	Daftari	170-225	1	-	1	Rs: 300	Rs: 300/-
15.	Gunman	170-225	2	1	1	Rs. 300	Rs. 600/-
							22,290/- per month
							X 12
							2,67,480/-
						minus	1,20,000/-
	(Excess expenditure other than pay of CAO/contingencies and Pensionary contribution etc.)						1,47,480/-

PART 'B' NEW DEPARTMENT OF COSTING/FINANCE/INTERNAL AUDIT.

1. Cost Accounts Officer	800-1450	1	1	-	Rs: 1200/-	Rs: 1200/-
2. Accounts Officers	550-1200	2	-	2	Rs: 900/-	Rs: 1800/-
3. Accountants	350-700	1	-	1	Rs: 600/-	Rs: 600/-
4. Accounts clerks	230-350	5	-	5	Rs: 400/-	Rs: 2000/-
5. Second grade Clerks	200-320	4	-	4	Rs: 350/-	Rs: 1400/-
6. Junior Engineer	300-500	2	-	2	Rs: 550/-	Rs: 1100/-
7. Senior Auditor	350-700	1	-	1	Rs: 600/-	Rs: 600/-
8. Junior Auditor	300-500	2	-	2	Rs: 550/-	Rs: 1100/-
9. Stenos	300-500	1	-	1	Rs: 550/-	Rs: 550/-
10. Orderlies	165-215	3	-	3	Rs: 310/-	Rs: 930/-
11. Peons	165-215	4	-	4	Rs: 280/-	Rs: 520/-
12. Peons for camp	165-215	1	-	1	Rs: 280/-	Rs: 280/-
13. Farrash	165-215	1	-	1	Rs. 280/-	Rs. 280/-
						13,360/- per month
						X 12
						1,60,320
Excess expenditure other than contingencies & pensionary contribution.						(-) 14,400
						Rs. 1,45,920/-

List of Staff of Kanpur Development Authority, Kanpur

****

S.No.	Designation	No. of Post
1.	Chief Accounts officer	1
2.	Accounts Officer	1
3.	Asstt. Accounts Officer	1
4.	Accountant	2
5.	Asstt. Accountant	3
6.	Head Clerk	1
7.	Accounts Clerk	6
8.	Ist Grade Clerk	4
9.	2nd Grade Clerk	7
10.	Dafatari	1
11.	Peon	7
12.	Cashier	1
13.	Asstt. Cashier	1
14.	Treasury Guard	1

CORPORATION OF MADRAS
ORGANISATIONAL CHART FINANCIAL MANAGEMENT UNIT
FINANCIAL ADVISER

Central Accounts Department under The Chief Accounts Officer

- **A.A.O-1** — Establishment Pension, G.P.F. Deposits, Loans & Advances & compilation of Accounts, bank reconciliation
- **A.A.O-2** — Pay bills Muster rolls Medical Reiumbursement bills contingencies supply bills upto Rs.5,000/- G.P.F. Sanction of advances & part final withdrawals.
- **A.A.O-3** — Pay bills, Muster rolls, Medical Re-iumbursement bills contingencies supply bills works bills adjustment bills upto Rs. 5,000/-

Budget Wing under S.A. O

Preparation of Budgets reporting of expenditure, revenue & Budget control, Cash control; ways & means forecasting advice on accounts classification Review of receipts and expenditure Monitory dept. deposits, Govt. grants etc.

Internal Audit Wing under S.A.O.

Internal audit of expenditure receipts and stock verification & Inventory control.

Commercial Accounts Wing under cost Accounts Officer

Preparation of commercial Accounts, Cost control in Commercial Departments, Capital Budgeting, preparation of Assets & Liabilities of Corporation.

Compared and

Delhi Development Authority

Vice - Chairman

- Finance Member
  - Chief Accounts Officer
    - A.O.(IA)
      - Internal audit section
    - A.O.(F&E)
      - Fin. & Expdr. section
    - A.O.(Cash)
      - Cash, Budget & A/cs.Br.
    - A.O(E)
      - Estt. section
    - A.O.W(
      - Works audit cell(H)
    - A.O(C&D)
      - A/cs.Br. (C&D)
    - A.O(R)
      - Land sales A/cs.
    - A.O(L)
      - Lotteries section
    - AO(JJ)
      - J.J. A/cs cell I
    - AO(JJ) II
      - JJA/cs. cell II
  - A.O. to FM
  - Financial Adviser (Housing)
    - A.O.(Housing) 2nos.
      - Housing A/cs. Branch

Compared [illegible]

NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

ORGANISATIONAL STRUCTURE OF FINANCE & ACCOUNTS DEPTT.

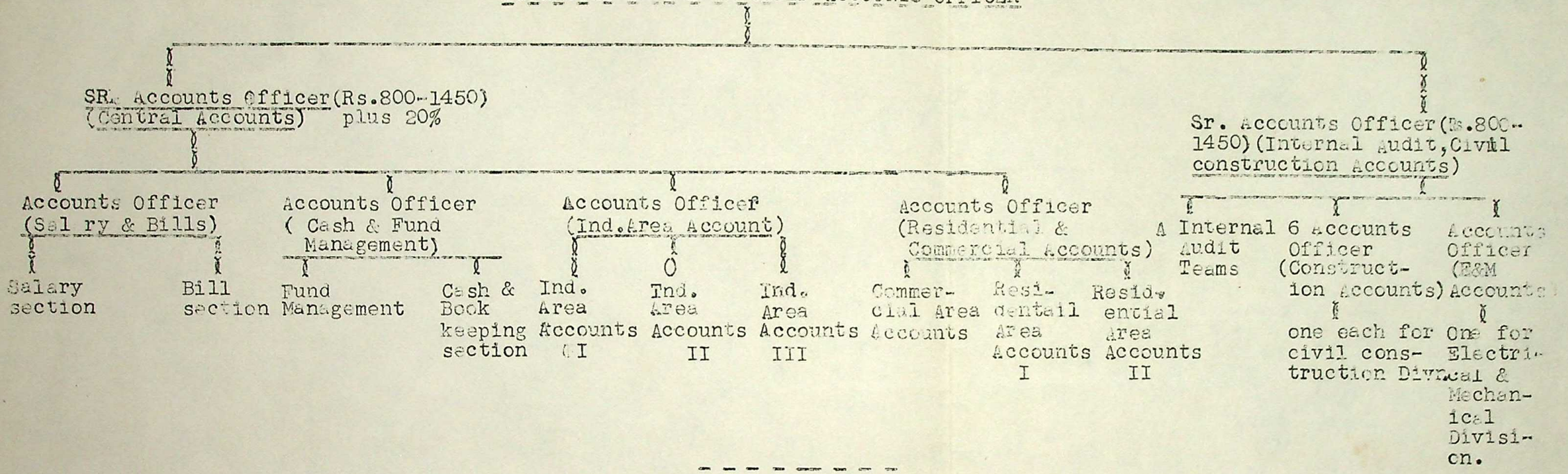

One section will generally consist of the following staff :-

1. Sr. Accountant in the grade of		Rs. 425-800	1
2. Accountants	-	Rs. 350-700	2
3. Jr. Accountant	-	Rs.280 -450	3
4. Typist/Despatcher/ Record keeper	-	Rs. 200-320	2
5. Peon/Dak Messanger/ Deftary	-	Rs. 165-215	1

Compared

विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास इस समय निम्न गाड़ियां हैं :-

1-	ट्रक	5 नं0
2-	टैंकर	1 नं0
3-	स्टाफ कार	4 नं0
4-	जीप	3 नं0
5-	रोलर	2 नं0
6-	बुलडोज़र	1 नं0

उक्त वाहनों का रखरखाव अभी तक महापालिका वर्कशाप द्वारा करवाया जा रहा है तथा इस पर आने वाले खर्च विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे हैं । अब विकास प्राधिकरण के विस्तार के साथ साथ दो प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयां इसमें आ रही है । एक तो गाड़ियों की मरम्मत के सम्बन्ध में प्रशासनिक नियन्त्रण नहीं रह पाता है, दूसरे गाड़ियों की मरम्मत में बहुत समय लगता है । इसलिये उचित होगा कि विकास प्राधिकरण अपना निजी वर्कशाप स्थापित करें जिससे विकास प्राधिकरण के विस्तार के साथ साथ वर्कशाप का भी धीरे धीरे विस्तार किया जायगा । प्रथम चरण में केवल गाड़ियों की रनिंग मरम्मत तथा सर्विसिंग किया जाना ही सम्भव हो सकेगा । बाद में धीरे-धीरे पूर्ण विकसित वर्कशाप में परिवर्तित कर लिया जायगा । यह वर्कशाप लक्ष्मण टीला स्थित पम्पिंग स्टेशन जो कि किसी समय नजूल पार्कों में रा-वाटर सप्लाई के लिये स्थापित किया गया था परन्तु अब बन्द पड़ा है, से सम्बद्ध भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित है । इस वर्कशाप हेतु निम्न-लिखित स्टाफ की आवश्यकता होगी :-

			वेतनक्रम	कुल वेतन देय प्रतिमाह
1-	डीजल मैकेनिक	1 नं0	230-280	रू0 360/-
2-	पेट्रोल	1 नं0	230-280	रू0 360/-
3-	ऑटो इलेक्ट्रिशियन	1 नं0	176-250	रू0 360/-
4-	फिटर	3 नं0	176-250	रू0 750/-
5-	क्लीनर	2 नं0	170-225	रू0 450/-
6-	स्टोर कीपर	1 नं0	230-380	रू0 400/-
7-	स्टोर हेल्पर	1 नं0	200-320	रू0 300/-
8-	चौकीदार	2 नं0	165-215	रू0 500/-

उल्लिखित स्टाफ पर लगभग 42,000/- प्रतिवर्ष व्यय आयेगा । कर्मचारियों का शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान एवं भत्ता देय होगा । इसके अतिरिक्त लगभग 50,000/- व्यय होगा । अत: विकास प्राधिकरण के समक्ष उल्लिखित पदों के सृजन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करने

क्रमश: - -

हेतु विषय प्रस्तुत है ।

ह0/- श्यामजी श्रीवास्तव
नगर अभियन्ता (विकास)

सचिव/उपाध्यक्ष,

उपरोक्त विषय को विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें ।

ह0/-एस0एन0पी0अग्रवाल
मुख्य अभियन्ता

विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग- अभियन्त्रण विभाग ।

विषय : लखनऊ शहर के प्रमुख मार्गों पर स्थित भवनों के अग्रभागों की रंगाई एवं मरम्मत विषयक आख्या ।

उपरोक्त विषय पर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 में प्रस्ताव संख्या 16 द्वारा निम्नलिखित निर्णय हुआ था ।

16 - लखनऊ नगर के प्रमुख मार्गों पर स्थित भवनों की मरम्मत तथा रंग रोगन के कार्य से सम्बन्धित ठेकेदार के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में ।

16.1- हाई पावर्ड कमेटी द्वारा यह निर्णय हो चुका है कि इस कार्य को आगे स्थगित रखा जाय । प्राधिकरण अवगत हुआ कि 12.76 लाख रुपये डिमाण्ड के विरुद्ध अब तक 5.5 लाख रुपये ही प्राप्त हुये हैं । प्राधिकरण द्वारा कराये गये कार्य का अनुमानित व्यय रु0 8.5 लाख है । प्राधिकरण यह महसूस करता है कि कार्य करने वाले ठेकेदारों को बकाया धनराशि के भुगतान की आवश्यकता है ।

16.2- प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति को देखते हुये यह भुगतान एक साथ नहीं किया जा सकता है । अतएव भुगतान स्टैगर्ड रूप में किया जाय ।

16.3- भुगतान के लिये शासन को लिखा जाय कि वे कृपया स्पष्ट करें कि प्राधिकरण यह भुगतान अपनी किस निधि से निकाल कर नियमानुसार दूसरे निधि से स्थानान्तरित करके किस प्रकार कर सकता है ।

16.4- अधिभोगियों से धनराशि की प्राप्ति सूचना विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय ।

इसी बीच विभाग के ठेकेदारों ने अपने देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में काफी जोर दिया, क्योंकि इस मद में धन न होने के कारण उनके देयकों का भुगतान नहीं किया जा सका । अत: अध्यक्ष महोदय से विकास प्राधिकरण की स्वीकृति मिल जाने की प्रत्याशा में स्वीकृति लेकर देयकों के आंशिक भुगतान हेतु 1.68 लाख रुपये प्राधिकरण के जनरल फण्ड में ट्रांसफर कर ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया ।

लालबाग क्षेत्र के अधिभोगियों से रंगाई एवं मरम्मत की धनराशि रु0 11,584/- भू-राजस्व के रूप में वसूल करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ से अनुरोध किया जा चुका है ।

अन्य क्षेत्र के अधिभोगियों से प्राप्त होने वाली धनराशि की सूचियाँ तैयार की जा रही है एवं शीघ्र ही जिलाधिकारी लखनऊ को भेज दी जावेंगी ।

अत: विकास प्राधिकरण 1·68 लाख की धनराशि जनरल फण्ड से आहरण करने की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु विषय प्रस्तुत है ।

ह0/- श्यामजी श्रीवास्तव
नगर अभियन्ता (विकास)

उपाध्यक्ष/सचिव,

उपरोक्त विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें ।

ह0/- एस0एन0पी0अग्रवाल
मुख्य अभियन्ता
24-11-77

विषय संख्या -16   लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय:- पेपर मिल योजना के अन्तर्गत आल्प आय वर्गीय 20 दो कमरे के भवनों का निर्माण कार्य ।

पेपर मिल योजना के अन्तर्गत 20 दो कमरे के भवनो का निर्माण की योजना है । इन भवनों के पूर्ण विक्रय के आधार पर आवंटन हेतु जनता से प्रार्थना पत्र रू0 5000/- के अग्रिम धन के साथ आमंत्रित किये गये और शेष धनराशि तीन किश्तों में निम्न प्रकार लेने का प्रविधान है:-

1- प्लीन्थ लेविल तक जब निर्माण हो जावे

2- डोर लेविल तक जब निर्माण हो जावे

3- फिनिशिंग टच के समय

यह सम्पूर्ण धन प्राप्त होने के बाद आवंटी को भवन का कब्जा दिया जावेगा ।

कार्य की तत्कालीनता को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त कार्य हेतु निविदा आमंत्रित किये गये । उक्त कार्य हेतुसर्व निम्न निविदा मेसर्स वी0के0इंटर प्राइजेज रू0 4,28,243/60 पैसे जो कि स्वीकृति व्ययानुमान से रू0 4,28,000/- से 2-50 प्रतिशत उच्च है । यह निविदा विकास प्राधिकरण द्वारा गठित निविदा उप समिति द्वारा इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया गया है कि इस सर्व निम्न निविदा की स्वीकृति विकास प्राधिकरण से प्राप्त कर ली जावे क्योकि निविदा स्वीकृति व्ययानुमान से उच्च है ।

अत: प्रश्नगत विषय विकास प्राधिकरण के समक्ष निविदा समिति की अनुशंसानुसार प्रस्तुत है ।

ह0-(श्याम जी श्रीवास्तव)
नगर अभियन्ता(वि0)
8-12-77

सचिव/उपाध्यक्ष

उपरोक्त विषय को कार्य की तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुये विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें क्योंकि यह एक समय बद्ध योजना है तथा निर्धारित अवधि के अन्दर जनता को भवन उपलब्ध कराने हैं ।

ह0-(एस0एन0पी0अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता,
8-12

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय: नव नियुक्ति सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता का वाहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

शासन ने अपने आदेश सं0 2234/11-न-8/75. दिनांक 12/3/76 द्वारा शासनादेश सं0 4434/11-न-75, नि08/75- दिनांक 20/3/75 के पैरा एक में संशोधित करते हुये निर्देश दिये है कि यदि अधिकारी/कर्मचारी, मोटर/मोटर साईकिल/स्कूटर का प्रयोग करता है तो केवल रु075/- प्रतिमास की दर से सवारी भत्ता अनुमन्य होगा।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में अपनी बढ़ती हुई आवश्यकतानुसार कुछ सहायक अभियन्ताओं एवं अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति पद सृजित करने के उपरान्त कर ली गई थी। इनको नियुक्ति की शर्तों के अनुसार इन्हे शासन में कार्यरत सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं को अनुमन्य वेतन मान तथा अनुमन्य भत्ते प्राप्त होंगें। प्राधिकरण की एक स्थानीय निकाय है उसमें वाहन भत्ता देने पर प्राधिकरण को विचार करना होगा। क्योंकि सेवा की परिस्थितयाँ दोनो वर्ग के कर्मचारियों की अलग-अलग हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों में प्राधिकरण के लिए यह भी विचारणीय है कि इनको शासकीय वेतन मान एवं उससे संबंधित अनुमन्य भत्ते के साथ उपरोक्त शासनादेशानुसार वाहन भत्ते दिये जायें।

ह0/-श्यामजी श्रीवास्तव
नगर अभियन्ता(विकास-2)

ह0/- एस0एन0पी0अग्रवाल
मुख्य अभियन्ता

उपरोक्त विषय को विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

ह0/-एन0बी0लाल
उपाध्यक्ष,
4-2-78

ह0/- बाबू राम
सचिव।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16.3.78 जो कार्यालय आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ में पूर्वाह्न 10-30 बजे हुई, का कार्यवृत ।

उपस्थिति :

1- श्री शशिभूषण शरण	-	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
2- श्री इन्दु प्रकाश पैरन	-	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
3- श्री बी0जे0 खांदायजी	-	आयुक्त एवं सचिव, आवास एवं नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन ।
4- श्री ओ0पी0 विश्नोई	-	मुख्य अभियन्ता (5), जल निगम उत्तर-प्रदेश
5- श्री जयन्ती प्रसाद दुबे	-	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- श्री राममणि पाण्डेय	-	उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7- श्री योगेन्द्र नारायण	-	जिलाधिकारी, लखनऊ ।

विशेष उपस्थिति :

1- श्री बाबू राम	-	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण
2- श्री के0पी0 सिंह	-	वरिष्ठ नगर नियोजक ।
3- श्री श्रीनाथ प्रसाद अग्रवाल	-	मुख्य अभियन्ता ।
4- श्री के0बी0 सक्सेना	-	मुख्य लेखाधिकारी ।

विशेष प्रस्ताव सं0 - 1: उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 56 (2) (क) के अधीन विकास प्राधिकरण, मथुरा-वृन्दावन द्वारा बनाये गये विनियम जिसे किंचित संशोधन के साथ शासन ने अनुमोदित कर दिया है, उसे लखनऊ विकास प्राधिकरण पर भी आवश्यकतानुसार लागू करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जाये। (प्रतिलिपि संलग्न)

विषय संख्या -1 : विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30-11-77 तथा 12-12-77 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया।

विषय संख्या -2 : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77, 30-11-77 तथा 12-12-77 में लिये गये निर्णयानुसार कार्यान्वयन प्रगति आख्या पर विचार:-

2-1 : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 में लिये गये निर्णयों की कार्यान्वयन प्रगति आख्या पर विचार किया गया। तथा लखनऊ मास्टर-प्लान की वैधता के विषय में निर्देश दिया गया कि शासन को विधिक राय प्राप्ति के लिए अनुस्मारक भेजा जाये।

2-2: अलीगंज के भूस्वामियों को एक्स-ग्रेशिया भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.10.77 में लिये गये निर्णयानुसार शासन को भेजे गये पत्र के सन्दर्भ में अनुस्मारक शीघ्र भेजा जाये।

2-3 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 में मोहल्ला गनेशगंज, लखनऊ में स्थित हाता मातादीन क्षेत्र आवासीय योजना को निर्मित करने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रगति से प्राधिकरण की आगामी बैठक में अवगत कराया जाय।

क्रमशः ...2..

2-4: प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.10.77 के विषय संख्या 31 में लिये गये निर्णयानुसार की गई कार्यवाही पर विचार किया गया और निर्देश दिया गया कि वांछित सूचना प्राप्त हेतु अनुस्मारक भेजा जाय।

विशेष प्रस्ताव सं0-2: निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के समक्ष जो प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाती है उसमें संक्षिप्त रूप से विषय का पूर्ण विवरण भी दिया जाया करे तथा साथ में सम्बन्धित बैठक का कार्यवृत्त भी कार्यसूची के साथ अवश्य संलग्न किया जाय जाय।

विशेष प्रस्ताव सं0-3: महानगर गृह योजनान्तर्गत करामत मार्केट के सामने की दुकानों में से एक दुकान दीपावली चक्रवर्ती निवासी ईस्ट बंगाल रिफ्यूजी कालोनी, खन्ना मिल डालीगंज, लखनऊ को बिना प्रीमियम के आवंटन के सम्बन्ध में :-

3-1: निर्णय लिया गया कि उपरोक्त मामले में पहिले यह देख लिया जावे कि प्रार्थिनी किस प्रकार दुकान चला सकेगी, तथा इस प्रकार के आवंटन से प्राधिकरण के समक्ष आगे आने वाले मामलों में क्या नीति अपनानी होगी।

विशेष संख्या -4: मास्टर-प्लान के प्लानिंग डिस्ट्रक्ट "ई" जोन नं0 8 व 9 का ड्राफ्ट जोनल प्लान प्राधिकरण के अभियन्त्रण विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर अनुमोदन :-

4-1: निर्णय लिया गया कि परिवर्तित विशेष परिस्थितियों में ट्रान्सपोर्ट नगर योजना वर्तमान स्थान पर लागू नहीं हो रही है और इस क्षेत्र को "ग्रीन-बेल्ट" में परिवर्तित कर दिया जाय तथा परिवर्तित परिस्थिति में इस क्षेत्र का भू-उपयोग आवासीय से "ग्रीन -बैल्ट" में परिवर्तित कर दिया जाय। तत्पश्चात् लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोनल प्लान की पब्लिसिटी केलिए अग्रिम कार्यवाही की जाय।

विषय संख्या --5: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवास हेतु कार्यालय प्रांगण के स्थल में प्रस्तावित डिजायन में रैयर सैंड बैक की स्वीकृति ।

5-1: निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नगर नियोजक सहित प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर संस्तुति प्राधिकरण के समक्ष कृपया रक्खें।

विषय संख्या -6: मुख्य अभियन्ता के कार्यालय की स्थापना हेतु स्टाफ की स्वीकृति ।

6-1: उपरोक्त विषय पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वि विकास प्राधिकरण में उपर्युक्त स्टाफ के लिए एक उप-समितिका गठन किया जाता है जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य होंगे।

1- श्री ओ0पी0 विश्नोई - मुख्य अभियन्ता (5), उ0प्र0 जल निगम,
2- श्री रामणि पाण्डेय - उप सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन,
3- श्री बाबू राम - सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

: उपरोक्त उप-समिति विकास प्राधिकरण में वर्तमान विभाग तथा उसमें रैगुलर स्वीकृत पद, कार्यभार तथा वर्तमान पदों के अतिरिक्त अन्य आवश्यक पद, जिनके सृजन की कार्य को सुचारु रूप से चलाने की अत्यन्त आवश्यकता है, वित्तीय पहलू को ध्यान में रखते हुए, पर अपनी स्पष्ट संस्तुति एक माह के अन्दर प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करेगी।

क्रमशः 3

विषय संख्या - 7: कामधेनु नगर को चालू रखने के लिये 313-43 लाख रुपये की इकोनॉमिक्स की स्वीकृति ।

7-1: विचार-विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित कार्यवाही पूरी करने के पश्चात एक विस्तृत आख्या प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाय:-

1- इस सम्बन्ध में पब्लिक ओपिनियन प्राप्त कर ली जाय।

2- नगर के समस्त कैटिल-आनर्स तथा उनके द्वारा पाले जाने वाले जानवरों की संख्या प्राप्त कर ली जाय।

3- इस सम्बन्ध में शासन के आदेश भी लें लिये जायें।

4- कैटिल-औनर्स की संख्या जिनके पास निजी भूमि है तथा ऐसे कैटिल औनर्स की संख्या जो भूखण्ड किराए पर लिये हुए हैं, ज्ञात कर ली जाये।

5- अन्य सम्भावित अवरोध के बारे में भी विचार-करके संस्तुति दी जाय।

6- नगर के चारों ओर उपलब्ध भू-भाग जिस पर कैटिल कालोनी स्थापित की जा सकती है, के डिटेल्ड प्लान तथा उसकी अर्थ-व्यवस्था के बारे में।

विषय संख्या -8: नियोजन विभाग की बैठक (त्रैमासिक प्रगति योजना) दिनांक पर विचार।

8-1: निर्णय लिया गया कि उपरोक्त विषय में प्राप्त शासनादेश अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को भेज दिया जाय जिससे वे उसका अध्ययन करके अग्रिम कार्यवाही हेतु आदेश निर्गत करेंगे।

विषय संख्या -9: पुनरीक्षित बजट 1977-78

9-1: विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात पुनरीक्षित बजट वर्ष 1977-78 की स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

विषय संख्या-10: नियोजन विभाग तथा विधि विभाग के लिये स्टाफ की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

10-1: निर्णय लिया गया कि कार्यसूची के विषय संख्या 6 के लिये गठित उप-समिति इस सम्बन्ध में भी अपनी अनुशंसा देगी।

विषय संख्या -11: सरोजनी नगर क्षेत्र में कानपुर रोड पर 100 शैया वाले ई0एस0 आई0 अस्पताल के निर्माण के लिये तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन आलमबाग व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिये सड़क के मध्य से 125 फुट की दूरी के अन्तर्गत निर्माण किये जाने की छूट देने के सम्बन्ध में।

11-1: विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया, चूँकि यू0पी0 रोड साइड कन्ट्रोल ऐक्ट के अधिकार क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन करना [illegible]
छूट देने का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

--क्रमशः ...4

विषय संख्या -12: विभागीय निर्माण इकाई के गठन के सम्बन्ध में गठित उप समिति की अनुशंसा पर विचार ।

12-1: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की दिनांक 12.12.77 की बैठक द्वारा गठित उप-समिति जिसके सदस्य श्री राममणि पाण्डेय, उप सचिव वित्त तथा श्री बाबू राम, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण थे, की संस्तुति दिनांक 7.2.78 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

विषय संख्या -13: लेखा विभाग के पुर्नगठन के सम्बन्ध में।

13-1: निर्णय लिया गया कि कार्यसूची के विषय संख्या -6 के लिये गठित उप समिति इस सम्बन्ध में भी अपनी अनुशंसा देगी।

विषय संख्या -14: लखनऊ विकास प्राधिकरण के वाहनों के रख-रखाव के लिये वर्कशाप की स्थापना के सम्बन्ध में ।

14-1: निर्णय लिया गया कि पहले यह देख लिया जाय कि प्राधिकरण को को अपनी गाड़ियों की मरम्मत महापालिका वर्कशाप द्वारा करवाये जाने पर, प्राइवेट वर्कशाप में करवाये जाने पर कितना व्यय आता है तथा प्राधिकरण में वर्कशाप खोल देने पर प्रतिवर्ष कितना आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय करना पड़ेगा। यह भी देख लिया जावे कि गाड़ियो की अल्पसंख्या देखते हुये क्या यहआवश्यक होगा। इस बारे में विस्तृत सूचना एकत्र करके आगामी बैठक में प्रस्ताव की इकोनोमिक्स एवं टिप्पणी विचारार्थ प्रस्तुत की जाय।

विषय संख्या-15: लखनऊ शहर के प्रमुख मार्गों पर स्थित भवनों के अग्रभागों की रंगाई एवं मरम्मत विषयक आख्या।

15-1: निर्णय लियागया कि तदनुसार औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जाय।

15-2: विचार-विमर्श के पश्चात् यह भी निर्णय लिया गया कि वी0आई0पी0 रोड इस पर यह स्कीम लागू रखी जाय तथा कार्य प्राधिकरण द्वारा न कराकर भवन स्वामियों /किरायेदारों को निर्धारित विशेष रंगों के अनुरूप पुताई स्वीकृति दी जावें।

विषय संख्या -16: पेपर मिल योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्गीय, दो कमरे के 20 भवनों का निर्माण कार्य।

16-1: निर्णय लिया गया कि निविदा उप समिति कीअनुशंसानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाय।

विषय संख्या -17: नव नियुक्त सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं को वाहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

17-1: विचार-विमर्श पश्चात् शासनादेश संख्या 2264/II-1-18/75, दिनांक 12.8.76 के अनुसार वर्णित परिस्थितियों में प्राधिकरण के सभी सहायक अभियन्ताओं एवं अवर अभियन्ताओं को शासकीय वेतनमान एवं इससे सम्बन्धित अनुमन्य भत्ते के साथ वाहन-भत्ता भी देने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

क्रमशः ....5....

विषय संख्या -19: भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

19-1: उक्त विषय आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।

विषय संख्या -20: "वरिष्ठ नगर नियोजक" पद-नाम को "आर्किटेक्ट-कम-प्लानर" रखे जाने के सम्बन्ध में।

20-1: समयाभाव के कारण विचार नहीं किया जा सका।

विषय संख्या -21: प्राधिकरणों के अधिष्ठान व्यय हेतु अनुदान बन्द करने के संबंध में।

21-1: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त आशय का एक पत्र शासन को भेजते हुए यह निवेदन किया जाय कि प्राधिकरण के वित्तीय दायित्वों को देखते हुये शासन इस पर कृपया पुनः विचार कर लें।

विषय संख्या -22: महानगर मन्दिर समिति को भूमि के प्रीमियम में 50 प्रतिशत की छूट देने के सम्बन्ध में।

22-1: समयाभाव के कारण उक्त विषय पर विचार नहीं किया जा सका। इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या -23: विकास प्राधिकरण में मुख्य अभियन्ता के पद पर श्री नाथ प्रसाद अग्रवाल की शासन द्वारा नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

23-1: विचार-विमर्श के पश्चात् विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता के पद पर श्री श्रीनाथ प्रसाद अग्रवाल की शासन द्वारा नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति प्रदान कीगई।

विषय संख्या -24: आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों के लिए डालीबाग में नजूल (बटलर पैलेस के पीछे) 96 दो मंजिले भवनों का निर्माण।

24-1: विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्तावित निर्माण स्थल के समुचित विकास एवं वर्षा जल के समुचित निकास व्यवस्था को सुनिश्चित करतेहुये भवनों के निर्माण का निर्णय लिया गया।

24-2: यह भी निर्णय लिया गया कि चूँकि यह स्थल बटलर पैलेस कालोनी के बहुत ही सन्निकट है एवं नीची भूमि होने के कारण प्रस्तावित भूखण्ड के विकास की लागत भी अधिक आवेगी, अतएव एक संशोधित लै-आउट प्लान एच0आई0जी0 (उच्च आय वर्ग) एम0 आई0 जी0 (मध्यम आय वर्ग) तथा ई0 डब्लू एस0 (आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग) भवनों हेतु बनाया जाये।

24-3: उक्त नजूल भूमि विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने के लिये शासन से अनुरोध किया जाय।

विषय संख्या 25: नैपियर रोड भाग-2 योजनामें राज्य कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त आवास गृहों कानिर्माण करने पर प्राप्त जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि की छूट देने के विषय में।

25-1: निर्णय लिया गया कि बढ़ती हुई जनसंख्या के घनत्व को ध्यान में रखते हुये जलनिगम से सहमति प्राप्त करके प्रस्तावित छूट प्रदान की जाय।

क्रमशः ... 6 ....

विषय संख्या : 26 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 विषय संख्या 29 में शमन शुल्क के निर्धारण लागू किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुसार दो सदस्यीय समिति की आख्या पर विचार ।

26-1 : विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि चूँकि इस विषय में काफी अध्ययन की आवश्यकता है और क्योंकि यह ऐसा विनियम है जिसका जन साधारण में प्रयोग अधिकता से होना है अतएव माननीय सदस्यगण इस पर गहन अध्ययन करके आगामी बैठक में विचार विमर्श करके निर्णय देंगे ।

विषय संख्या : 27 — अलीगंज आवास योजना में प्रथम खण्ड के अन्तर्गत 20 उच्च आय वर्गीय भवनों में बिजली, सेनेटरी वाटर फिटिंग कार्यों सहित भवन निर्माण कार्य ।

27-1 : विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि अलीगंज आवास योजना में 20 उच्च आय वर्गीय भवनों में बिजली, सेनेटरी एवं वाटर फिटिंग सहित भवन निर्माण कार्य हेतु निविदा उपसमिति की अनुशंसा के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाय ।

विषय संख्या : 28 — अलीगंज योजना में [illegible] खण्ड के अन्तर्गत 20 उच्च आय वर्गीय भवनों का बिजली एवं सेनेटरी कार्यों सहित निर्माण ।

28-1 : विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि अलीगंज योजना में [illegible] खण्ड में 20 उच्च आय वर्गीय भवनों के बिजली, सेनेटरी कार्यों सहित भवन निर्माण कार्य हेतु निविदा उप समिति की अनुशंसानुसार स्वीकृति प्रदान की जाय ।

विषय संख्या : 29 — अलीगंज योजना में द्वितीय खण्ड के अन्तर्गत 20 उच्च आय वर्गीय भवनों का बिजली सेनेटरी तथा वाटर फिटिंग के कार्यों सहित निर्माण ।

29-1 : विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि अलीगंज योजना में द्वितीय खण्ड के अन्तर्गत 20 उच्च आय वर्गीय भवनों का बिजली, सेनेटरी एवं वाटर फिटिंग सहित निर्माण हेतु निविदा उप समिति की अनुशंसानुसार कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की जाय ।

विषय संख्या : 30 — अलीगंज योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिये निर्मित भवनों के तथा निम्न आय वर्गीय भवनों के किश्तों की वसूली की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।

30-1 : इस विषय को आगामी बैठक में विचार विमर्श हेतु रखने के लिये निर्णय लिया गया ।

विषय संख्या : 31 — अलीगंज योजना में लीजरेण्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

31-1 : उपरोक्त विषय अगली बैठक के लिए विचार हेतु स्थगित किया गया ।

क्रमश: -------7

विषय संख्या: 32 अलकापुरी गृह निर्माण समिति लिमिटेड की भूमि को अलीगंज योजना में भूमि देने के विषय में ।

32-1 : समयाभाव के कारण इस विषय पर विचार नहीं किया जा सका अतएव इसे प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

विषय संख्या: 33 कबीरत गंज योजना में शास्त्री मान्टेसरी स्कूल को भूमि दिये जाने के विषय में ।

31-1 : इस विषय को आगामी विकास प्राधिकरण की बैठक में रखने के लिये निर्णय किया गया ।

विषय संख्या: 34 अलीगंज योजना में भूमि को मुक्त कराने हेतु डा० जय शंकर टण्डन का प्रार्थना पत्र ।

34-1 : इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पार्टी (डा० जय शंकर टण्डन) प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये तथा उन्होंने बताया कि उनके साथ के लगभग चार पांच मामलों में उदारता पूर्ण कार्यवाही की गयी है और भूमि अर्जन से मुक्त कर दी गयी है किन्तु उनके मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अत: निर्णय लिया गया कि कथित भू-स्वामियों के सम्बन्ध में जांच करके निर्णय हेतु एक विस्तृत आख्या अध्यक्ष, ल०वि०प्रा० के समक्ष प्रस्तुत की जाये ।

विषय संख्या: 35 भारत स्काउट एण्ड गाइड संस्था को महानगर गृह योजनान्तर्गत 9475 वर्गफुट भूमि बिना प्रीमियम आवन्टन ।

35-1 : समयाभाव के कारण इस विषय पर विचार नहीं किया जा सका इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

विषय संख्या: 36 नजूल तथा विकास के भूखण्डों का उद्यान प्रयोजन हेतु आवन्टन ।

36-1 : समयाभाव के कारण इस विषय को अगली बैठक हेतु स्थगित किया गया ।

विषय संख्या: 37 हजरतगंज स्थित पुराने डाकखाने में व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संबंध में विचार ।

37-1 : उपरोक्त विषय पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श के पश्चात निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

1- दुकानों की पहली लाट उन्हीं को दीजायेगी जिनसे पहले अनुबन्ध हुआ था ।

2- शेष दुकानें सार्वजनिक नीलाम द्वारा आवंटित की जायेंगी ।

3- सम्पत्ति का स्वामित्वाधिकार प्राधिकरण का होगा तथा यह दुकानें किराये पर ही दी जायेंगी ।

4- विस्थापित दुकानदारों तथा उपाध्यक्ष के बीच इस संबंध में विचार विमर्श किया जायेगा तथा निष्कर्ष से अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया जायेगा जिस पर वे अन्तिम निर्णय देंगे ।

5- विस्थापित दुकानदारों को दुकान आवन्टित हो जाने पर कब्जा व तभी दिया जायेगा जब वे अपनी वर्तमान दुकानों का कब्जा विकास प्राधिकरण को सौंप देंगे ।

6- जो दुकानदार नवनिर्मित दुकानों में से आवन्टन का आफर नहीं देंगे तो भी उन्हें वर्तमान दुकानों में बने रहने का अधिकार नहीं रहेगा ।

7- बहुखण्डी भवन के फ्लोर एरिया तथा कारपेट एरिया की दरें प्राधिकरण द्वारा निकाल (वर्कआउट) कर के शासन को एक सप्ताह में अवगत कराई जायेंगी ।

ह०/-शशिभूषण शरण
मण्डलायुक्त, लखनऊ एवं अध्यक्ष, ल०वि०प्रा०